निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**17 पौष 1937 (श0)**

**(सं0 पटना 20) पटना, वृहस्पतिवार, 7 जनवरी 2016**

सं० 2/सी5–08/13–30
f'k{kk foHkkx
&&&&&&&&
l;dYi
5 tuojh 2016

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–12122/98, 8147/99, 8679/02 एवं एल0पी0ए0 सं0–65/03 में विभिन्न तिथियों में पारित आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 सं0–6450/03 एवं सिविल अपील सं0–4466/03 में दिये गये आदेश के अनुपालन में संकल्प सं0–1209 दिनांक 07.07.06 द्वारा अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (शिक्षण शाखा) पुरुष एवं महिला शिक्षको के 2465 पदों (कार्यरत बल–1336) को 01.01.1977 के प्रभाव से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग–2 में संविलयित किया गया।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–10091/06 बिहार शिक्षा सेवा संघ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 31.10.07 को पारित आदेश के आलोक में अधिसूचना संख्या–1855 दिनांक 19.11.07 द्वारा संकल्प सं0–1209 दिनांक 07.07.06 को निरस्त करते हुये, तत्तकालिक प्रभाव से कोई वैयक्तिक एवं आर्थिक लाभ नहीं देने का आदेश दिया गया।

3. सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0– 10091/2006 तथा 14678/2006 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 31.10.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एल0पी0ए0 संख्या–418/2007 दायर किया गया तथा कुछ अन्य के द्वारा भी एल0पी0ए0 दायर किया गया।

(ii) माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0– 418/07 एवं अन्य समरुप एल0पी0ए0 में समेकित रुप से दिनांक 21.05.10 को पारित आदेश में एल0पी0ए0 को खारिज किया गया।

4. बिहार राज्य राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एल0 पी0 ए0 में दिनांक 21.05.10 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0 एल0 पी0 सं0–26675–26676/10 दायर किया गया।

5. SLP (C) NOs- 26675-26676/2010 से उद्भुत Civil Appeal NOs.-8226-8227/2012 तथा I.A. NOs.- 19-20/2011 एवं अवमाननावाद संख्या–386–387/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.12 को समेकित रुप से पारित आदेश में एल0 पी0 ए0 सं0–418/2009 एवं अन्य एल0 पी0 ए0 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.05.10 तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–10091/2006 में दिनांक 31.10.2007 को पारित आदेश को खारिज करते हुये अधिसूचना संख्या–1855 दिनांक 19.11.07 को अभिखंडित किया गया है।

(ii) अधिसूचना संख्या–1209 दिनांक 07.07.06 को (Upheld) सही ठहराया गया तथा इसके अनुरुप कार्य आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया है।

(iii) I.A. NOs.- 19-20/2011 को अभिखंडित करते हुये अवमाननावाद संख्या–386–387/2011 को निष्पादित किया गया है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0–8226–8227/12 में दिनांक 23.11.12 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिसूचना संख्या–687 दिनांक 02.04.2013 द्वारा अधिसूचना संख्या–1855 दिनांक 19.11.07 को विलोपित करते हुये, संकल्प सं0–1209 दिनांक 07.07.06 को पुनर्जिवित किया गया।

7. अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) के समान संविलियन का लाभ प्रदान करने हेतु राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के शिक्षकों द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिकाए दायर की गयी। सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–14402/06 ललन प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा एल0पी0ए0 संख्या–1620/2013 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रमशः दिनांक 18.03.2013 एवं दिनांक 20.01.2015 तथा एस0एल0पी0 संख्या–9744/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.07.15 को पारित आदेश के अनुपालन में राजकीय संस्कृत उच्च शिक्षा के वैसे शिक्षक जो 01.01.1977 को कार्यरत थे, दिनांक 15.11.2000 के पूर्व सेवा निवृत हो चुके है तथा दिनांक 15.11.2000 के बाद बिहार राज्य में कार्यरत है या सेवा निवृत हुए है, को वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3521 दिनांक 11.04.78 के आलोक में बिहार शिक्षा सेवा वर्ग–2 में दिनांक 01.01.1977 से संविलयित किया जाता है।

8. ये पद मरणशील पद होगें।

9. संविलयित शिक्षकों को परिणामी लाभ नियमानुसार देय होगा।

10. वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

11. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

fcgkj&jkT;iky d vkn'k l]
Mk0 /keZUn flg xxokj]
i/kku lfpoA

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट (असाधारण)** 20-571+100-**डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**